

**The Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2025 (Insertion of New Section 31A, etc.)-Introduced**

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बलवंत बसवंत वानखडे: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष जायसवाल उपस्थित नहीं ।

श्री अमरसिंग टिस्सो ।